राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल रैजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– एफ 15( ) सासु/न.शा./ब.घो./सान्याअवि/24-25/ **जयपुर,दिनांक**

नशामुक्ति केन्द्र संचालन हेतु ड्राफ्ट दिशा–निर्देश 2024–25

राज्य में नशामुक्ति केन्द्र संचालन हेतु दिशा–निर्देश 2024–25 निम्न प्रकार जारी किये जाते हैं :–

1.संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार :

I. ये नशामुक्ति केन्द्र संचालन हेतु दिशा–निर्देश 2024–25 कहलायेंगे।

II. यह दिशा–निर्देश राज्य में अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख से प्रवृत होंगें ।

2. परिभाषा :

जब तक कोई बात अन्यथा प्रतीत नहीं हो, तब तक निम्नानुसार दी गयी परिभाषाएं ही इन दिशा–निर्देशों के निर्वचन (*Interpretation*)हेतु अन्तिम होंगी :–

I- राज्य सरकार से तात्पर्य राजस्थान सरकार से अभिप्रेत है ।

II- विभाग से तात्पर्य राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से अभिप्रेत है।

III- प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव से अभिप्रेत है ।

IV- आयुक्त/निदेशक, से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आयुक्त /निदेशक से अभिप्रेत है ।

V- प्रभारी अधिकारी से तात्पर्य निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में पदस्थापित योजना के क्रियान्वयन अधिकारी से अभिप्रेत है।

VI- जिलाधिकारी से तात्पर्य विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी से है चाहे उसका रैंक या वेतनमान कुछ भी हो, से अभिप्रेत है ।

VII- नशामुक्ति केन्द्र से तात्पर्य इन नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित किये जाने वाले नशामुक्ति केन्द्रों से है।

VIII- नशे से ग्रसित व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ (Narcotic Drugs and Psychotropic Substance) के ऊपर निर्भर है।

RajKaj Ref
9355902
Signature valid
Digitally signed by Bachanesh
Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.05 16:09:52 IST
Reason: Approved

IX- नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ से तात्पर्य वहीं है जो स्वाापक औषधी एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 61) में उल्लेखित है।

उद्देश्य :–

I. राज्य सरकार की नशामुक्ति योजनान्तर्गत नशे से ग्रसित पुरूषो एवं महिलाओं का भविष्य संवारने का प्रयास करना।

II. नशामुक्ति योजना का ध्येय नशा करने वाले पुरूषों एवं महिलाओ की पहचान कर उन्हे परामर्श देना, उचित ईलाज करवाना।

III. नशामुक्ति योजना का ध्येय नशा करने वाले पुरूषों एवं महिलाओ को नशे के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक करना।

IV. प्रदेश के युवाओं को शराब एवं नशे की लत जैसे व्यसनों से मुक्ति दिलवाना।

V. नशे में संलिप्त/ग्रसित रोगियों/व्यक्तियों का उपचार किया जाना।

VI. नशामुक्ति केन्द्र के साथ–साथ जागरूकता (awareness) एवं क्षमतावर्धन (capacity building) जैसी गतिविधियों का संचालन किया जाना, जिससे समाज में नशे की बुराई समाप्त की जा सके।

3. योजना का क्रियान्वयन :–

I. राज्य स्तर पर नशामुक्ति केन्द्रों का क्रियान्वयन/मॉनिटरिंग आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जायेगा।

II. जिला स्तर पर नशामुक्ति केन्द्रों की निगरानी जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

III. नशा मुक्ति केन्द्रों का क्रियान्वयन स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से जिला स्तरीय राजकीय चिकित्सालयों में किया जायेगा तथा राजकीय चिकित्सालय में पर्याप्त परिसर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से किराये के या स्वयं के भवन में संचालित किया जायेगा ।

4. आवेदन के लिए स्वयं सेवी संस्था की पात्रता एवं क्षमता :–

I. स्वयंसेवी संस्था/संगठन जो सोसायटी एक्ट/ट्रस्ट (न्यास)/एक्ट/कम्पनी में पंजीकृत हो।

II. संस्था का पंजीयन कम से कम तीन वर्ष पुराना होना चाहिए।

III. संस्था के उद्धेश्यों में नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्य करने का उल्लेख होना चाहिए।

RajKaj Ref
9355902

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.05 16:09:52 IST
Reason: Approved

IV. संस्था के तीन वर्षों के ऑडिटेड लेखे होने चाहिए जिसमें संस्था का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम से कम 10 लाख रूपये हो।

V. संस्था यदि नशामुक्ति केन्द्र का संचालन किराये के भवन में या स्वयं के भवन में संचालित कर रही है तो उसका न्यूनतम क्षेत्र 4000 स्कवायर फीट हो तथा उसमें आवासियों हेतु निम्न सुविधाएं होना आवश्यक हैं:–

अ–पर्याप्त मात्रा में रोशनी एवं हवादार कमरे ।

ब–पर्याप्त मात्रा में शौचालय एवं स्नानघर।

स–आवासियों के लिए भोजन बनाने की क्षमता वाली रसोई घर।

द–स्वागत कक्ष, रिकार्ड रूम, मेडिसिन कक्ष, मनोरंजन कक्ष आदि का होना आवश्यक हैं। इस हेतु संस्था को **परिशिष्ट–1**के अनुसार किराया देय होगा।

य–यदि केन्द संस्था के स्वयं के भवन में संचालित है तो मासिक किराये का 10 प्रतिशत रख–रखाव (मेंटेनेंश) के रूप में ही देय होगा।

VI. नशा मुक्ति केन्द्र परिसर में सीसी टीवी कैमरे होने आवश्यक है।

VII. संस्था के पास राजस्थान निराव्यसन केन्द्र नियम 2020 में नशा मुक्ति केन्द्र संचालन हेतु लाईसेंस/अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

VIII. भर्ती होने वाले आवासियो को नाश्ता, भोजन, आवास, चिकित्सा एवं दवाइयों की निःशुल्क व्यवस्था संस्था द्वारा की जायेगी।

IX. संस्था द्वारा भर्ती आवासियों को दी जाने वाली सुविधाओं (भोजन एवं नाश्ता) का चार्ट परिसर के ऐसे स्थान पर लगा होना चाहिये जिससे संस्था की विजिट/निरीक्षण कर्ता व्यक्ति/अधिकारी आसानी से पढ़ सके।

X. संस्था द्वारा भर्ती आवासियों की दिन–चर्या का चार्ट लगा होना चाहिए।

XI. केंद्र के मुख्य गेट/दरवाजे पर 'नशामुक्ति केन्द्र' के नाम का बोर्ड लगा होना आवश्यक है।

5. **अनुदान/सहायता राशि का भुगतान :–**

I- संस्था को एक सत्र में अनुदान/सहायता राशि निर्धारित नॉर्मस् अनुसार दो किस्तो में यथा 50–50 प्रतिशत के रूप में देय होगी। प्रथम किस्त 15 अप्रेल एवं द्वितीय किस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात 15 अक्टूबर तक देय होगी।

6. **नशामुक्ति केन्द्रों के सफल संचालन/जन–जागरूकता से सम्बंधित कार्यक्रमों हेतु जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाता हैं जिसमें निम्न सदस्य होगे:–**

I.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष

RajKaj Ref
9355902
Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.05 16:09:52 IST
Reason: Approved

II.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
III.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद	सदस्य
IV.	जिला कोषाधिकारी	सदस्य
V.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
VI.	जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य
VII.	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास	सदस्य
VIII.	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
IX.	सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता	सदस्य
X.	जिला जन सम्पर्क अधिकारी	सदस्य
XI.	जिला कलक्टर द्वारा मनोनित विज्ञ व्यक्ति जिसे नशे के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो	सदस्य
XII.	जिला कलक्टर द्वारामनोनित जिलें में नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्था का प्रतिनिधि	सदस्य
XIII.	विभाग का जिलाधिकारी	सदस्य सचिव

उक्त जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समितिकी त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया जायेगा।

7. जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति के कार्य

I. नशा मुक्ति कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए मानिटरिंग, पर्यवेक्षण एवं आवश्यक सुझाव देना।

II. पात्र स्वयं सेवी संस्था का चयन।

III. जिला अधिकारी द्वारा संस्था को किये जाने वाले भुगतान का अनुमोदन।

IV. जिला अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर संस्था के कार्य की समीक्षा।

V. नशामुक्ति केन्द्र का समय समय पर औचक निरीक्षण ।

VI. स्वयं सेवी संस्था के द्वारा निर्धारित मापदण्डों-अनुसार कार्यक्रम संचालन नहीं पाये जाने पर कार्यक्रम की स्वीकृति निरस्त करने का निर्णय लिया जाना।

RajKaj Ref 9355902

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.05 16:09:52 IST
Reason: Approved

8. **जिला अधिकारी के कार्य** :–

I. जिला स्तर पर स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से नशा मुक्ति केन्द्र संचालित किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करना।

II. प्राप्त आवेदन पत्रों में से जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समितिकी बैठक आयोजित कराकर जिले के लिए उपयुक्त/पात्र संस्था का चयन

III. जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समितिकी त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया जायेगा।

IV. जिला अधिकारी द्वारा संस्था का एक सत्र में त्रैमासिक निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति व निदेशालय को प्रेषित की जायेगी

V. स्वयं सेवी संस्थाओं को जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति से अनुमोदित राशि एवं संस्था में कार्यरत कार्मिकों के पेटे दिया जाने वाला भुगतान बैंक खातों के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

VI. जिले की आवश्यकता अनुसार नशे से आमजन में होने वाले दुष्परिणामों के सम्बंध में जागरूकता (awareness) एवं क्षमतावर्धन (capacity building) कार्यक्रम हेतु कार्य योजना तैयार कर जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति से अनुमोदन करवाना

9. **संस्था द्वारा संधारित किये जाने वाले रिकॉर्ड** :–

I. Indoor एवं outdoor रजिस्टर का संधारण किया जायेगा

II. प्रत्येक कर्मचारी की उपस्थिति पंजिका एवं निजी पंजिका का संधारण किया जायेगा, जिसमें उसकी नियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता एवं अवकाश से सम्बंधित समस्त रिकार्ड का संधारण किया जायेगा।

III. भर्ती होने वाले प्रत्येक आवासीसे सम्बंधित रजिस्टर का संधारण जिसमे मरीज का नाम, पूरा पता, मोबाइल नं0, प्रवेश दिनांक, डिस्चार्ज विवरण, संरक्षक का नाम व पता आदि का उल्लेख हो।

IV. रोकड पंजिका, लेजर पंजिका, बिल/वाउचर पंजिका, मासिक व्यय विवरण आदि तैयार रखा जायेगा तथा वित्तीय वर्ष समाप्ति पर आडिटेड लेखे जिला कार्यालय को प्रस्तुत किये जायेंगे।

RajKaj Ref
9355902

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.05 16:09:52 IST
Reason: Approved

V. राशन पंजिका,

VI. मेडिकल स्टॉक रजिस्टर

VII. स्थाई व अस्थाई भंण्डार पंजिका

VIII. सामान्य पत्राचार पंजिका

IX. विजिटर पंजिका

X. तालाबंद सुझाव पेटिका

11- **<u>जागरूकता (awareness) एवं क्षमतावर्धन (capacity building) हेतु कार्यक्रम</u>**

नशा करने वाले व्यक्तियों को नशे के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक करने हेतु जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति द्वारा जिलें की स्थानीय परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार एक कार्य योजना तैयार कर अनुमोदित की जायेगी। कार्य योजना में सम्मलित की जाने वाली गतिविधियॉः–

A. सम्भाग/जिला/ब्लॉक स्तरीय जन–प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों हेतु जन–जागरूकता कार्यशाला का आयोजन।
B. सम्भाग/जिला/ब्लॉक स्तरीय मैराथन दौड़ प्रतियोगिता।
C. मोबाईल वैनः–सम्भाग एवं जिला स्तर पर मोबाईल वैन के माध्यम से ड्रग एब्यूज एवं इसके दुष्परिणामों के व्यापक प्रचार–प्रसार (IEC) करवाया जाना।
D. प्रदेश में विभिन्न माध्यमों से जैसे टी.वी. रेड़ियों एवं अन्य प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीड़िया के माध्यम से ड्रग एब्यूज एवं इसके दुष्परिणामों के व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना है।
E. सभी जिलों में ड्रग एब्यूज एवं इसके दुष्परिणामों के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु मास्टर ट्रेनर/स्वयं सेवी संस्था को तैयार करना जिससे वर्षभर नशे के दुष्परिणामों से आम जन को जागरूक करना तथा उससे आम जन के शारीरिक, मानसिक, एवं आर्थिक क्षेत्र में पड़ने वाले दुष्प्रभावों से अवगत/जागरूक कराना।

RajKaj Ref
9355902

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.05 16:09:52 IST
Reason: Approved

12- <u>जागरूकता (awareness) एवं क्षमतावर्धन (capacity building) कार्यक्रम हेतु चयन समितिः–</u>

जिलाधिकारी, सान्याअवि जिलें में आयोजित होने वाले जागरूकता एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रमों हेतु आवंटित बजट के उपयोग हेतु जिला स्तरीय नशा मुक्ति समिति की अनुशंषा के आधार परव्यय किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

13- <u>विशिष्टः–</u>

I. राज्य सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत इस कार्यक्रम के संचालन के निर्धारित दिशा निर्देशों अभिलेख/जांच/निरीक्षण प्रतिवेदनों में अनुबंध पत्र शर्तों (यदि कोई हो तो) आदि में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समय–समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन किया जा सकेगा।

II. कार्यक्रम के संचालन में यदि कोई कठिनाई/बाधा हो तो उनको दूर करने, कार्यक्रम के संचालन के किसी बिंदु की व्याख्या किसी भी विवाद में आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान का निर्णय अंतिम होगा।

III. कार्यक्रम की पात्रता प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की शिथिलता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

IV. इन दिशा–निर्देशों के निर्वचन एवं विवेचन के लिए आयुक्त/निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अधिकृत होगें।

(बचनेश कुमार अग्रवाल)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
9355902

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.05 16:09:52 IST
Reason: Approved

क्रमांकः एफ. 15 ( ) सा.सु/न.व./सान्याअवि/2024-25/ **जयपुर, दिनांक :**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
9. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड़ करना सुनिश्चित करे।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
9355902

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.05 16:09:52 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट–1

25 बैडेड् (25- BEDDED) नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना के नॉर्मस्

A. आवर्तक व्यय (Recurring Expenditure)

(1). प्रशासनिक व्यय :–

क्र. स.	पद नाम	संख्या	मसिक व्यय	वार्षिक व्यय	वि.वि.
1	प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर	1	25,000	3,00,000	स्नातक एवं तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव साथ ही कम्प्यूटर का अनुभव प्राप्त हो।
2	लेखाकार कम क्लर्क	1	12,000	1,44,000	स्नातक एवं लेखाकार्य के साथ ही कम्प्यूटर का ज्ञान।
3	रसोइया	1	10,000	1,20,000	––
4	चौकीदार	2	9,000 X 2 = 18,000	2,16,000	––
5	सफाई कर्मचारी	1	9,000	1,08,000	––

(2)चिकित्सा व्यय :–

क्र. स.	पद नाम	संख्या	मसिक व्यय	वार्षिक व्यय	वि.वि.
1	चिकित्सक (पार्ट टाईम)	1	24,000	2,88,000	MBBS registration with state medical conscial or medical commission of India He should under go training arranged by the MOSJE/NISD
2	परामर्शदाता/ सामाजिक कार्यकर्त्ता/ मनोवैज्ञानिक	4	17,500 X 4 = 70,000	8,40,000	स्नातक एवं तीन वर्ष का इस क्षेत्र में अनुभव साथ ही तीन महिनें का NISD का प्रमाण–पत्र
3	योगा थैरेपिस्ट डांस/म्युजिक	1	5,000	60,000	उक्त क्षेत्रों का तीन वर्ष का अ[illegible] हो।

RajKaj Ref 9355902

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.05 16:09:52 IST
Reason: Approved

	टीचर/आर्ट टीचर (पार्ट–टाईम)				
4	नर्स	3	15,000 X 3 =45,000	5,40,000	मान्यता प्राप्त संस्था से जीएनएम/बी.एस.सी. नर्सिंग।
5	वार्ड बॉय	2	13,000 X 2 =26,000	3,12,000	8 वी पास व्यक्ति जो IRCA में कार्य किया हो तथा एनआईएसडी से प्रशिक्षित हो। या किसी चिकित्सालय में/ हेल्थ केयर सेंन्टर/नशामुक्त केन्द्र में कार्य का अनुभव हो।
6	सहकर्मी शिक्षक (नशे से मुक्त) (Peer Educators)	1	10,000	1,20,000	वह व्यक्ति जो शिक्षित हो तथा सयमित रूप से 1–2 वर्ष से नशे से ग्रसित व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य कर रहा हो।
कुल आवर्तक व्यय (प्रशासनिक व्यय एवं चिकित्सा व्यय)		**18**	**2,54,000**	**30,48,000**	

(3). स्टॉफ के अतिरिक्त अन्य व्यय :–

क्र. स.	**पद नाम**	**संख्या**	**मसिक व्यय**	**वार्षिक व्यय**	**वि.वि.**
1	किराया मद		30,000	3,60,000	
2	दवाइयां		28,000	3,36,000	
3	आकस्मिक व्यय मय ऑफिस व्ययः–स्टेशनरी, पानी, बिजली बिल, टेलिफोन एवं अनावर्तक समान की मरम्मत		11,200	1,34,400	
4	वाहन मद		10,000	1,20,000	
5	मैस व्यय 110 रूपये (प्रति दिन नाश्ता दोनों समय खाना) प्रति		25 X 110 X 30 = 82,500	9,90,000	

RajKaj Ref
9355902

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.05 16:09:52 IST
Reason: Approved

	व्यक्ति/प्रतिदिन				
कुल राशि			**1,16,700**	**19,40,400**	
महायोग A			**4,15,700**	**49,88,400**	

B. अनावर्तक व्यय (Non-Recurring Expenditure)

क्र.स.	**विवरण**	**राशि**
1	25 बैड्स मय गद्दे, बैडसीट, तकिया, 3 सेट लिनन के कम्बल, कार्यालय फर्नीचर, कम्प्यूटर मय प्रिंटर, रेफ्रेरिजेटर एवं बर्तन इत्यादि	3,00,000
2	बॉयामेट्रिक मशीन (स्टाफ एवं मरीज)	20,000
कुलB		**3,20,000**
महायोग A + B		**53,08,400**

I. कुल व्यय का 10 प्रतिशत स्वयं सेवी संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

II. स्वयं सेवी संस्था के नाम से यदि कोई भवन है उसका कोई किराया देय नहीं होगा। हालांकि रख–रखाव हेतु किराये का 10 प्रतिशत देय होगा।

III. 5 वर्ष की अवधि के बाद अनावर्तक **(Non-Recurring)** हेतु अनुदान इस शर्त के साथ देय है कि संस्था लगातार पॉच वर्षो से सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही हो।

RajKaj Ref
9355902

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.05 16:09:52 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट–2

बैडिंग (BEDDING)

क्र.स.	आर्टिकल	प्रति आवासी निर्धारित संख्या
1	पलंग	1
2	दरी	1
3	गद्दा	1
4	तकिया कवर सहित	2
5	चद्दर	2
6	खेस	2
7	कम्बल	2
8	थाली,चम्मच,	एक–एक
9	कटोरी, ग्लास	दो–दो

RajKaj Ref
9355902

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.05 16:09:52 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट–3

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

<u>नशामुक्ति केन्द्र निरीक्षण रिपोर्ट</u>

अ. निरीक्षण टीम का विवरण:–

1.	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पद।	
2.	निरीक्षण दिनांक	
3.	निरीक्षण के समय उपलब्ध मरीजों की संख्या।	
4.	अन्य	

ब. नशामुक्ति केन्द्र से सम्बंधित सूचना:–

1	संस्था का नाम।	
2	संस्था/केन्द्र का पूर्ण पता।	
3	केन्द्र अधीक्षक का नाम व पूर्ण पता।	
4	मोबाइल नं0।	
5	ई–मेल ।	
6	केन्द्र का स्थापना वर्ष।	
7	रजिस्ट्रेशन नम्बर एव प्रति।	
8	संस्था के अध्यक्ष, सचिव, व निदेशक के संपर्क नम्बर।	
9	नवीन कार्यकारी समिति की प्रति	
10	समिति के चुनाव व वैद्यता की तिथि।	
11	संस्था द्वारा कब तक अनुदान प्राप्त किया जा चुका है।	

स. आधारभूत संरचना संबंधित सूचना:–

1	केन्द्र में उपलब्ध पंलगों की संख्या।	
2	केन्द्र में योगा आदि हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है या नहीं।	
3	केन्द्र में मनोरंजन के पर्याप्त साधन उपलब्ध है या नहीं।	
4	केन्द्र में पेयजल एवं साफ–सफाई की व्यवस्था है या नहीं।	
5	स्टोर में दवाईयां उपलब्ध है या नहीं।	

RajKaj Ref
9355902

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.05 16:09:52 IST
Reason: Approved

6	केन्द्र में पर्याप्त संख्या में स्नानघर, शौचालय है या नहीं।	
7	केन्द्र में सीसीटीवी कैमरे चालू स्थिति में है या नहीं।	
8	भर्ती मरीजों और स्टॉफ के लिए बायोमेट्रिक मशीन है या नहीं।	

द. अभिलेख :–

1	Indoor एवं outdoor रजिस्टर का संधारण किया जा रहा है अथवा नहीं।	
2	प्रत्येक कर्मचारी की उपस्थिति पंजिका एवं निजी पंजिका, नियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता एवं अवकाश से सम्बंधित समस्त रिकार्ड का संधारण किया जा रहा है अथवा नहीं।	
3	भर्ती होने वाले प्रत्येक आवासी का विस्तृत विवरण (मरीज का नाम, पूरा पता, मोबाइल नं0, प्रवेश दिनांक संरक्षक का नाम व पता आदि) का संधारण किया जा रहा है अथवा नहीं।	
4	रोकड पंजिका , लेजर पंजिका, बिल/वाउचर पंजिका, मासिक व्यय विवरण आदि तैयार किया जा रहा है अथवा नहीं।	
5	राशन पंजिका संधारित है या नहीं।	
6	स्थाई व अस्थाई भण्डार पंजिका संधारित है या नहीं।	
7	समाचार पत्र पत्रिका पंजिका संधारित है या नहीं।	
8	विजिटर पंजिका संधारित है या नहीं।	
9	तालाबंद सुझाव पेटिका उपलब्ध है या नहीं।	
10	संस्था में भर्ती रजिस्टर व मुक्त रजिस्टर संधारित है या नहीं।	
11	संस्था में प्रत्येक व्यक्ति की काउंसलिग की पत्रावली संधारित की जाती है या नहीं।	
12	दवाइयों का स्टॉक रजिस्टर संधारित है या नहीं।	
13	भवन किरायानामा है या नहीं।	
14	अन्य	

य. स्टॉफ पैटर्न :–

क्र. स.	नाम व पद	शैक्षणिक योग्यता	केन्द्र में उपस्थिति दिनांक	निरीक्षण के दौरान उपस्थित या अनुपस्थित	कार्मिकों की उपस्थिति का विवरण रजिस्टर/बायो–मेट्रिक में किया जा रहा की रिपोर्ट	वि. वि.

र. केन्द्र मे भर्ती मरिजों की आयु से सम्बंधित सूचना :–

RajKaj Ref 9355902

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.05 16:09:52 IST
Reason: Approved

30 वर्ष तक के	31–40 वर्ष तक के	41–50 वर्ष तक के	50–60 वर्ष तक के	60 से अधिक के	केन्द्र में ऐसे भर्ती मरीज जो 30 दिन से कम व 60 दिन से अधिक केंद्र में भर्ती रहें का विवरण

मेरे द्वारा उक्त नशामुक्ति केन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया कि केन्द्र विभाग के दिशा–निर्देशानुसार संचालित किया जा रहा है/नहीं किया जा रहा। अतः केन्द्र को अनुदान स्वीकृत/अस्वीकृत करने की अभिशंषा की जाती है/नही की जाती है।

दिनांकः

(संयुक्त/उप/सहायक निदेशक/जि.परि. एवं स. क. अ.)
कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग........

RajKaj Ref
9355902

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.05 16:09:52 IST
Reason: Approved